

प्रेस नोट दिनांक-23.09.2020

(1). आज दिनांक-23.09.2020 को श्री शेषमणि पाण्डेय जिलाधिकारी चित्रकूट एवं श्री अंकित मित्तल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट की अध्यक्षता में राघव प्रेक्षागार पुलिस कार्यालय चित्रकूट में अपराध एवं कानून व्यवस्था समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये-

- (i). महोदय द्वारा मुकदमों में अभियुक्तों के दोषमुक्त होने के सम्बन्ध में अभियोजन अधिकारी से कारण पूछे गए।
- (ii). महोदय द्वारा ब्लैक-स्पॉट के सम्बन्ध में एआरटीओ से पूछताछ कर आवश्यक निर्देश दिए।
- (iii). महोदय द्वारा ओवरलोड वाहनों की प्रभावी चेकिंग कर कार्यवाही हेतु एआरटीओ, उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारीगण एवं समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिये गये।
- (iv). महोदय द्वारा जमीन सम्बन्धी विवादों के निस्तारण में किसी प्रकार की समस्या आती है तो शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान न करें एवं राजस्व टीम से समन्वय कर विवादों को निपटाएं।
- (v). महोदय द्वारा आईजीआरएस से प्राप्त प्रा0पत्रों में वादी को सन्तुष्ट कर प्रभावी जांच करने हेतु निर्देशित किया गया।
- (vi). महोदय द्वारा कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश दिए कि बिना मास्क वालों की चेकिंग कर कार्यवाही करें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना सुनिश्चित करें।
- (vii). प्रायः देखा जा रहा है कि ग्रामीणों द्वारा दूध निकालकर करके अपने जानवरों को अन्ना छोड़ दिया जाता है, ग्राम प्रधान एवं चौकीदारों से जानकारी कर जानवर मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही करें।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये-

- (i). महोदय द्वारा टॉप-10 अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।
- (ii). समस्त थाना/चौकी प्रभारी शस्त्र रजिस्टर का सत्यापन कर शस्त्र निरस्तीकरण एवं शस्त्र जमा कराने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- (iii). गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही में नोटिस तामीला कराएं।
- (iv). एच0एस0 खुलवाने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- (v). अपराधियों की जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।
- (vi). गैंगेस्टर के मुकदमों में सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए।
- (vii). आईजीआरएस से प्राप्त प्रा0पत्रों की समय सीमा के अन्दर जांच कर शिकायतकर्ता को संतुष्ट करें।
- (viii). महोदय द्वारा आगामी त्यौहार चिहुल्लम के सम्बन्ध में सभी थाना प्रभारियों से वार्ता कर जानकारी ली गयी एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

गोष्ठी में अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, एआरटीओ, अभियोजन अधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी मऊ, समस्त थाना प्रभारी, वाचक पुलिस अधीक्षक, स्टेनो पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(2). कल दिनांक-22.09.2020 को श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय प्रयागराज जोन, प्रयागराज के आदेश के क्रम में श्री अंकित मित्तल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय के नेतृत्व में बेड़ी पुलिया तिराहा पर 02 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी। महोदय द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट एवं तीन सवारी चलने वाले 02 पहिया वाहनों का चालान कराया गया एवं मास्क लगाने हेतु हिदायत दी गयी। 02 पहिया वाहनों को रोककर संदिग्ध व्यक्तियों की फिजिकल चेकिंग की गयी।

चेकिंग के दौरान श्री घनश्याम पाण्डेय यातायात निरीक्षक, श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी पीआरओ, श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर एवं अन्य अधि०/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरूकता एवं चेकिंग अभियान में दिनांक 22.09.2020 को जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों के उल्लंघन एवं मास्क न लगाने पर थाना कोतवाली कर्वी में 86 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188/269 भादवि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर किये गये। जनपदवासियों से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों का पालन करें।